भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 3559
(जिसका उत्तर मंगलवार, 12 अगस्त, 2014 को दिया गया)

<u>कारपोरेट समूहों द्वारा किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व से जुड़े कार्यों का रिकार्ड</u>

3559. श्री अनिल माधव दवे :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न कारपोरेट समूहों द्वारा किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) से जुड़े कार्य का रिकार्ड रखती है;

(ख) क्या कंपनियां उनके द्वारा की गई सी.एस.आर. गतिविधियों से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध कराती है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान किन-किन संगठनों को धनराशि दी गई है, तथा धनराशि दिए जाने का उद्देश्य, आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का कारपोरेट संगठनों द्वारा उनके निकटतम संबंधियों, परिवारों, मित्रों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित फर्मों को सी.एस.आर. से संबंधित गतिविधियों के अधीन निधियों के वितरण के मामले में कठोर नियमों और विनियम बनाए जाने का विचार है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग) : कारपोरेट सामाजिक दयित्व (सी.एस.आर.) से संबंधित नियमों जिन कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व नियम लागू करना अपेक्षित है, के बोर्ड निर्धारित प्रपत्र में अन्यों के साथ-साथ ऐसे कार्यकलापों के स्थल, आबंटित और व्यय की गई राशि दर्शाते हुए इनका विस्तृत विश्लेषण शामिल करेंगे। संबंधित उपबंध हाल ही में लागू किए गए हैं और कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. नीतियां तैयार की जा रही हैं, इसलिए विशिष्ट ब्यौरे सितंबर, 2015 के बाद बोर्ड रिपोर्टों के मिलने पर उपलब्ध होंगे।

(घ) : दायित्व से बचने पर रोक लगाने को ध्यान में रखते हुए, सी.एस.आर. से संबंधित नियमों में संशोधन पर विचार ऊपर वर्णित अनुसार वास्तविक कार्यान्वयन के बारे में कुछ सूचना उपलब्ध होने पर ही किया जा सकता है।

*****